न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 60 / 2014

1 नारायणराम पुत्र रामुराम जाति जाट निवासी खुड़ी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भागीरथ पुत्र भानाराम।
2 हीरा बेवा मोहनराम।
3 मामराज पुत्र मोहनराम।
4 महेन्द्र पुत्र मोहनराम।
5 श्रवण पुत्र मोहनराम।
6 लिछमण पुत्र माना।
7 गुमाना पुत्र माना।
8 तुलछा पुत्र माना।
9 भगवानी देवी पत्नी लिछमण समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम खुड़ी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
10 तहसीलदार भू–धारक राजस्थान सरकार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 26.05.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ बसिलसिले प्रार्थना पत्र अ. आदेश 9 नियम 7,13 सीपीसी मुकदमा अनुवानी भागीरथ बनाम नारायण आदि मुकदमा नम्बर 60 / 2012 अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री लक्ष्मण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रणजीत खीचड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 19.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 60/2012 में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 भागीरथ ने अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ में आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अभिधृति संशोधन विधेयक 2010 के तहत एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह भूमि खसरा नम्बर 395 रकबा 3.53 हैक्टेर तन ग्राम खुडी का खातेदार काश्तकार है जिसमें आवागमन का रास्ता रेल्वे स्टेशन के उतरी रेल्वे फाटक से होता हुआ चारागाह खसरा नम्बर 409 के दक्षिणी पूर्वी कोने के पास से खसरा नम्बर 392 के दक्षिणी पश्चिमी कोने व खसरा नम्बर 393/2 के उतरी पश्चिमी कोने से प्रवेश करता हुआ खसरा नम्बर 393/2 के उतरी सीमा से सटता हुआ खसरा नम्बर 389 से दक्षिणी पश्चिमी कोने से प्रवेश करता है व दक्षिण को घुमता हुआ खसरा नम्बर 395 मे से 30 फिट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाया जावे व सभी बाधाओं को खुलवाया जावें। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उक्त आवेदन अपने स्वंय की भूमि खसरा नम्बर 395 जिसमें से होकर रास्ता हमेशा से रहा है उसे हटाने की नियत से उसने सर्वथा गलत व झुठा आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई आवेदन स्वीकार कर लिया। इसके विरूद्व अपीलांट ने आदेश 9 नियम 13 का आवेदन

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत किया उसे भी विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की तामील सम्यक नही करवाई गई है। विचारण न्यायालय ने आदेश 9 नियम 13 का आवेदन त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया है। आदेश 5 नियम 12 में तामील स्वंय को या उसके प्रतिनिधि को करवाने का प्रावधान है लड़का अधिकृत नही है। आदेश 5 नियम 13 के प्रावधान यहां लागु नही होते है। अपीलांट की तामील प्राप्त करने वाला परिवार के साथ नही रहता है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें। अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे. राजस्थान 2011 पेज 504 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि दिनांक 05.10.2011 को ग्राम पंचायत में बन्द रास्ते को खुलवाने हेतु आवेदन दिया था दिनांक 12.02.2012 को पंचनामा बनाकर मौके पर प्रचलित रास्ते के बन्द की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित किया है। निर्णय की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल हो चुका है। डी.एल.सी. की दुगुना राशि जमा करवा दी है। विचारण न्यायालय में तामील सही करवाई गई है। विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। दिनांक 05.10.2011 को ग्राम पंचायत में बन्द रास्ते को खुलवाने हेतु आवेदन दिया था दिनांक 12.02.2012 को पंचनामा बनाकर मौके पर प्रचलित रास्ते के बन्द की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित किया है। निर्णय की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल हो चुका है। डी.एल.सी. की दुगुना राशि जमा करवा दी है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

विचारण न्यायालय में तामील सही करवाई गई है। विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है।

यहां यह भी विचारणीय है कि धारा 251ए के अन्तर्गत संक्षिप्त कार्यवाही होती है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर